महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय

MAHARSHI PANINI SANSKRIT EVAM VEDIC VISHWAVIDYALAYA

देवासमार्ग, उज्जैन (मध्यप्रदेश) पिन - 456010

E-mail-regpsvvmp@rediffmail.com, Website– www.mpsvvujjain.org,

शोध केन्द्र एवं पत्रोपाधि (डिप्लोमा)/प्रमाणपत्रीय (सर्टिफिकेट) पाठ्यक्रम के लिए केन्द्र प्रारम्भ करने के लिए मार्गदर्शक सूचनाएँ

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन की स्थापना मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिनियम 2006 के अंतर्गत 17 अगस्त 2008 को की गयी है। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के अधिनियम की धारा 07(एक) के अनुसार विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य विश्वविद्यालय का और गवेषणा शिक्षा और शिक्षण के केन्द्रों का जो की विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु आवश्यक हैं, प्रशासन तथा प्रबंध करना है।

विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है। अतः संस्कृत के संवर्धन हेतु प्रमाणपत्रीय एवं पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के लिए केन्द्र/शोध केन्द्र प्रारंभ करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

- आवेदन पत्र का शुल्क - रुपये 1000/-
- केन्द्र के भौतिक निरीक्षण के लिए - प्रति आवेदन रुपये 15,000/- देय होंगे (जो वापसी योग्य नहीं)।
- समस्त शुल्क कुलसचिव, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय को डी.डी./ एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जा सकता है।
- मध्यप्रदेश में विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्यरत कोई भी शासकीय महाविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालय/पंजीकृत संस्था/शिक्षण संस्था/पंजीकृत न्यास आदि आवेदन कर सकेंगे।
- प्रमाणपत्रीय/पत्रोपाधि पाठ्यक्रम केन्द्र/शोध केन्द्र विश्वविद्यालय की स्वीकृति के बाद ही प्रारंभ किये जा सकेंगे।
- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रमाणपत्रीय/पत्रोपाधि पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जा सकेंगे।

क्र.	डिप्लोमा (पत्रोपाधि)	सर्टिफिकेट (पत्र-प्रमाण)
1	ज्योतिष/ज्योतिर्विज्ञान	संस्कृत सम्भाषण (वाग्व्यवहार)
2	वास्तुशास्त्र	हस्तरेखा विज्ञान
3	कर्मकाण्ड/पौरोहित्य	श्रीमद्भगवद्गीता अध्ययन
4	पी.जी.डी.सी.ए.	दुर्गासप्तशती पाठ विधान
5	संस्कृत संभाषण	रुद्राभिषेक विधि
6	मन्दिर प्रबन्धन	प्रश्न ज्योतिष
7	मालवा-निमाड़ क्षेत्र का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन	शकुनविज्ञान
8	बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन	रत्न ज्योतिर्विज्ञान
9	बघेलखण्ड क्षेत्र का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन	विवाहविमर्श
10	पी.जी. योग डिप्लोमा	मुहूर्तविज्ञान
11	यू.जी. योग डिप्लोमा	पूजाविधि
12		अवन्ती जनपद का सांस्कृतिक परिचय
13		उच्चारण विधि
14		योग थैरेपी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स
15		योग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स

- यदि कोई महाविद्यालय/संस्था एक से अधिक पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम के लिए एक ही आवेदन पत्र में मान्यता हेतु आवेदन करता है तो उसे एक बार ही निरीक्षण शुल्क देना होगा, किन्तु प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क से छूट नहीं होगी।
- एक आवेदन पत्र में एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- शोध केन्द्र की मान्यता हेतु पृथक् से आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार केन्द्र संचालन/शोध संस्थान का संचालन किया जा सकेगा।
- शिक्षण प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार अध्यापकों की नियुक्ति/योग्य अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जा सकेगा।
- अध्यापकों का शैक्षणिक अनुभव एवं समस्त आवश्यक जानकारी विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।
- प्रत्येक वर्ष केन्द्र का मान्यता/नवीनीकरण शुल्क विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- समस्त केन्द्रों में अध्यापन के लिए शैक्षणिक समय अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित कर सकेंगे किन्तु समयसारणी की प्रति सहित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के लिए हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण छात्र (12 वीं या समकक्ष) प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम के लिए हाईस्कूल उत्तीर्ण छात्र (10 वीं) प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
- समस्त पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए आयु का कोई बंधन नहीं है।
- पाठ्यक्रम का माध्यम संस्कृत या हिन्दी रहेगा परन्तु संस्कृत संभाषण का ज्ञान पाठ्यक्रम के साथ लेना आवश्यक होगा।

- पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाएँ एवं मार्गदर्शन, केन्द्र की मान्यता के पश्चात् प्रेषित की जायेंगी।
- किसी भी प्रकार की विसंगतता या अन्य मामलों में विश्वविद्यालय का निर्णय मान्य/बंधनकारी रहेगा।
- केन्द्र प्रारंभ करने हेतु संस्था के द्वारा वार्षिक रु.15000/- का मान्यता शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा।
- योग पाठ्यक्रम हेतु रु.5000/- एवं पी.जी.डी.सी.ए के लिए शुल्क रुपये 10,000/- प्रतिवर्ष देय होगा। इनके अतिरिक्त अन्य डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये प्रत्येक के रु.2000/- प्रतिवर्ष देय होंगे। परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होंगे।
- विश्वविद्यालय के शोध केन्द्र के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं रहेगी, किन्तु निरीक्षण शुल्क देय होगा तथा छात्र पंजीयन, कोर्स वर्क के शुल्क विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होंगे।
- शोध केन्द्र के लिए 01 निदेशक नियमित एवं 01 नियमित अध्यापक की नियुक्त करना होगी।
- शोध केन्द्रों/शिक्षण केन्द्रों के व्यवस्थित संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर सूचनाएँ प्रेषित की जाती रहेंगी।

कुलसचिव